



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 420]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2015—आश्विन 25, शक 1937

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2015

एफ-5-17/2015/29-1, चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि अनुसूचित वस्तुओं के उचित मूल्य पर साम्यपूर्ण वितरण तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है,

अतएव भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना जो का.आ. 1373 (अ) दिनांक 29.08.2006 एवं का.आ. 2227 (अ) दिनांक 27.09.2011 के अधीन प्रकाशित की गई है, के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 एवं केन्द्र सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी.एस.आर. 800 दिनांक 9 जून 1978 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भः—

(एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2015” है।

- (दो) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।
- (तीन) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा तथा इसकी प्रभावशीलता केन्द्र सरकार द्वारा जारी विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बन्धन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश 2015 या इसके पश्चात् जारी आदेश में इस आदेश की अनुसूची “एक” में उल्लेखित आवश्यक वस्तुओं के लिए दी गई समयावधि तक लागू रहेगी।

2. परिभाषाएँ :-

इस आदेश में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

- (क) “व्यापारी” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जिसमें “कमीशन अभिकर्ता” एवं “प्रसंस्करणकर्ता” भी सम्मिलित हैं जो एक समय में एक या समस्त अनुसूचित वस्तुओं एवं उसके उत्पादों का फुटकर एवं थोक व्यापारी के रूप में इस आदेश की अनुसूची –“दो” में उल्लेखित सीमा तक क्रय, विक्रय या विक्रय हेतु संग्रह करता है या करने का आशय रखता है, जिसमें उसके द्वारा वैयक्तिक खेती द्वारा उत्पादित वस्तुओं का स्टॉक सम्मिलित नहीं है।
- (ख) “कमीशन अभिकर्ता” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, कमीशन पर विक्रय के लिए क्रय, विक्रय तथा संग्रहण का कारोबार करता हो।
- (ग) ‘प्रसंस्करणकर्ता’ से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जो अनुसूचित वस्तुओं की मिलिंग या प्रसंस्करण का कारोबार करता हो।
- (घ) ‘प्ररूप’ से अभिप्रेत है, इस आदेश से संलग्न प्ररूप।
- (ड.) ‘मण्डी’ से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) में विनिर्दिष्ट मण्डी।
- (च) ‘अनुसूचित वस्तुएँ’ से अभिप्रेत है इस आदेश की अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ।
- (छ) ‘राज्य सरकार’ से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार।
- (ज) ‘जनसंख्या’ से अभिप्रेत है, वर्ष 2011 की जनगणना में सुनिश्चित जनसंख्या।
- (झ) ‘अ’ श्रेणी के नगर’ से अभिप्रेत है ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या दस लाख एवं अधिक है।
- (झ) ‘ब’ श्रेणी के नगर से अभिप्रेत है ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक एवं दस लाख से कम है।
- (ट) अन्य क्षेत्र जो प्रवर्ग ‘अ’ एवं प्रवर्ग ‘ब’ से भिन्न है।

3. अधिकतम स्टॉक सीमा:-

- (क) कोई भी व्यापारी किसी भी समय में अनुसूची “दो” में वर्णित किसी एक अथवा एक से अधिक वस्तुएं मिलाकर निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।
- (ख) राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित अधिकतम स्टॉक सीमा को पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

4. अनुसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय एवं विक्रय हेतु भंडारण पर निर्बन्धन :-

- (क) प्रत्येक ‘थोक व्यापारी’ ‘कमीशन अभिकर्ता’, ‘प्रसंस्करणकर्ता’ जिसके द्वारा अनुसूची –“एक” में वर्णित आवश्यक वस्तुओं का क्रय, विक्रय के लिए संग्रह किया जाता है वह क्रय, विक्रय एवं संग्रहण के सुसंगत लेख, जिसमें नियत प्ररूप ‘अ’ में दैनिक स्टॉक पंजी, क्रय विक्रय के पक्के बीजक एवं मण्डी की रसीद शामिल है, रखेगा एवं मांगे जाने पर निरीक्षण के समय प्रस्तुत करेगा।
- (ख) प्रत्येक ‘व्यापारी’ आवश्यक वस्तुओं का संव्यवहार भौतिक रूप से करेगा तथा ऐसी सट्टे वाली रीति से नहीं करेगा जिससे बाजार में उसकी सुगम उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।
- (ग) प्रत्येक ‘व्यापारी’ अपने कारोबार के परिसर के प्रवेश द्वार या किसी अन्य सहज दृश्य प्रमुख स्थान पर विक्रय के लिए रखी गई अनुसूचित वस्तुओं की मूल्य सूची एवं स्टाक का बोर्ड देवनागरी लिपि में सुपाठ्य रूप से लिखी हुई प्रदर्शित करेगा जिसमें प्रत्येक दिन का विभिन्न किसी की अनुसूचित वस्तुओं का मूल्य और प्रारंभिक स्टाक को पृथक रूप से उपदर्शित करेगा।
- (घ) प्रत्येक ‘व्यापारी’ विक्रय हेतु संग्रहित अनुसूचित वस्तुओं को विक्रय से नहीं रोकेगा।
- (ङ.) प्रत्येक ‘थोक व्यापारी’, ‘कमीशन अभिकर्ता’, ‘प्रसंस्करणकर्ता’ नियत प्ररूप ‘ब’ में माह की 15 तारीख को समाप्त होने वाले पक्ष की उसी माह की 20 तारीख तक तथा मासांत को समाप्त होने वाले पक्ष की आगामी माह की 5 तारीख तक विवरणी कलेक्टर को भेजना सुनिश्चित करेगा तथा विवरणी की प्राप्ति रखेगा।

5. आदेश का उल्लंघन:-

कोई भी व्यापारी या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा।

6. प्रवेश, तलाशी तथा अभिग्रहण आदि की शक्तियाँ:-

- (एक) इस आदेश के प्रावधानों एवं उपबन्धों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/आयुक्त/अपर

संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक/ सहायक आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश द्वारा स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी राज्य की सीमा के भीतर एवं कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिले की सीमा के भीतर ऐसी सहायता, यदि कोई हो, जैसी कि वह उचित समझे के साथ—

- (क) किसी स्थान, परिसर, यान या जलयान के जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश अथवा उसके उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, स्वामी, अधिभोगी अथवा अन्य किसी भारसाधक व्यक्ति से, ऐसे उल्लंघन से संबंधित संव्यवहारों को दर्शाने वाली पुस्तकें, लेखे या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
- (ख) किसी स्थान, परिसर, यान या जलयान में जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा या उसे खोल सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा।
- (ग) ऐसे उल्लंघनों से संबंधित संव्यवहारों को दर्शाने वाले रजिस्टर बिल बुक या किसी दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा या अभिग्रहित करवा सकेगा।
- (घ) अनुसूचित वस्तुओं के स्टॉक को तथा इस आदेश के उपबन्धों के उल्लंघन में उक्त अनुसूचित वस्तुओं को ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए पशुओं, यानों, जलयानों या अन्य वाहनों की तलाशी ले सकेगा, उनका अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें हटा सकेगा और तत्पश्चात् ऐसे समस्त उपाय करेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो इस प्रकार अभिग्रहण किए गए अनुसूचित वस्तुओं के स्टॉक तथा पशुओं, यानों, जलयानों या अन्य वाहनों का सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रकार पेश किए जाने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक हों।
- (दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं 2) के उपबन्ध जो तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित हैं यथा संभव इस खण्ड के अधीन तलाशियों तथा अभिग्रहण को लागू होंगे।

7. छूट :-

राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस आदेश के समस्त या किन्हीं भी उपबन्धों से छूट दे सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या निरस्त कर सकेगी।

अनुसूची—एक
अनुसूचित वस्तुऐं
(कंडिका 2 (च) देखिए)

तुवर (अरहर), मूँग, उड़द, मसूर दाल साबुत या दली हुई (छिलका सहित अथवा छिलका रहित)।

अनुसूची—दो

(कंडिका 3 (क) देखिए)

अनुसूचित वस्तुएं	नगरों की श्रेणी	स्टाक सीमा विवंटल में थोक व्यापारी के मामले में	स्टाक सीमा विवंटल में फुंटकर व्यापारी के मामले में
तुवर (अरहर), मूँग, उड्ड, मसूर दाल	प्रवर्ग-'अ' नगर	2000	50
साबूत या दली हुई(छिलका सहित या छिलका रहित)	प्रवर्ग-'ब' नगर	1000	50
	अन्य क्षेत्र	500	40

प्ररूप—‘अ’

प्ररूप—‘ब’

विवरणी का प्ररूप

(कंडिका 4 (ड) देखिए)

पास्त्रिक विवरणी

माह _____ वर्ष _____

थोक व्यापारी /कमीशन अभिकर्ता/ प्रसंस्करणकर्ता का नाम एवं कारोबार स्थल का पता

टिन नं._____ मंडी लायसेंस नं._____

मंडी लायसेंस में स्वीकृत गोदामों के पते _____

माह की प्रथम तारीख का प्रारंभिक स्टाक

माह में 01 से 15 /दिनांक 16 से मासांत तक आवक जो लागू हो उसे चिन्हित करें

दिनांक	आवश्यक वस्तु	क्रय की गयी मात्रा	फ्रॉट जिससे क्रय की गई/मिलिंग से प्राप्त, बीजक क्रमांक सहित
1 से 15 तारीख तक /दिनांक 16 से मासांत तक	1. दाल साबूत,		
	2— दाल छिलका सहित		
	3— दाल छिलका रहित		

माह में 1 से 15 /दिनांक 16 से मासांत तक विक्रय/मिलिंग:-

दिनांक	आवश्यक वस्तु	विक्रय/मिलिंग की गयी मात्रा	फर्म जिसको विक्रय की गई/मिलिंग से प्राप्त, बीजक क्रमांक सहित
1 से 15 तारीख तक /दिनांक 16 से मासांत तक	1. दाल साबूत,		
	2— दाल छिलका सहित		
	3— दाल छिलका रहित		

दिनांक 15 /मासांत का अंतिम स्टाक

आवश्यक वस्तु	अंतिम स्टाक की मात्रा विचंटल में
1. दाल साबूत,	
2— दाल छिलका सहित	
3— दाल छिलका रहित	

थोक व्यापारी के हस्ताक्षर
फर्म का नाम सील मुद्रा सहित